"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 304] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2006—अग्रहायण 16, शक 1928

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2006

क्रमांक 56/चार/निर्वा. संचा./2006/1374.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 434/छ. ग./03/5665 दिनांक 28 नवम्बर, 2006 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

आलोक शुक्ला,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर, 2006—7 अग्रहायण, 1928 (शक)

अधिसूचना

सं. 434/छ. ग.-वि. स./2003 (1).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि इसकी तारीख 5 नवम्बर, 2003 की अपनी अधिसूचना संख्या 434/छ. ग.-वि. स./2003 (1) में निम्नलिखित संशोधन और किये जाएंगे अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी :-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रम संख्या (1)	सहायक रिटर्निंग आफिसर (2)
25-कोटा	1. अपर कलेक्टर, पेण्ड्रा रोड, (जिला-बिलासपुर)
	2. डिप्टी कलेक्टर, बिलासपुर.

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग आफिसरों के रूप में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतों की गणना सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर प्रभावी नहीं रहेगी.

आदेश से,

हस्ता./-
(ललित मोहन)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated the 28th November, 2006—7 Agrahayana, 1928 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/CG-LA/2003 (1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 434/CG-LA/2003 (1), dated 5th November, 2003 namely :-

In column (2) of the table appended below to the said Notification, the following entries shall be added :-

TABLE

No. & Name of Assembly Constituency (1)	Assistant Returning Officers (2)
25-Kota	1. Upper Collector, Pendra Road, (District Bilaspur). 2. Deputy Collector, Bilaspur.

The appointment of the above Officers as Assistant Returning Officers in respective Constituency will cease to be effective on successful completion of counting of votes in the Constituency concerned.

By order,

Sd/-
(LALIT MOHAN)
Secretary,
Election Commission of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.